न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]
उनवान [illegible] वगै० बनाम बनवारी लाल वगै. मु.नं. 50/2020 (धारा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में जारी
	की पहचान वकील श्री बसन्त वर्मा ने की। राजीनामा को पक्षकारान के स्वीकार बाद तस्दीक किया जाकर शामिल किया गया। मिसल शेष प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3, 6 ता 10 की तामील बाइन्तजार हेतु दिनांक पूर्व नियत 16/07/20 को पेश हो।	
15-10-2020	वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसल तलबी स्वीकार किया जाने पर पत्रावली पूर्व नियत इकजाही पेशियो (कोविड-19 संक्रमण के चलते) से तलब की जाकर आज पेश हुई। प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3, 6 ता 8 के इकबाली जवाब दावा दिनांकित 16-07-2020 को अभिलेख पर लिया जाता है। वकील वादिगण ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रतिवादी सं० 4 व 5 ने राजीनामा पेश किया है एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 व 6 ता 8 ने वादी के दावे को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब दावा पेश किया है। प्रतिवादी सं० 10 की तामील सम्यक रूप से होकर लौटी है बावजूद सम्यक तामील प्रतिवादी सं० 10 की ओर से कोई हाजिर अदालत नही आया है। अतः प्रतिवादी सं० 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं० 9 की ओर से श्री रामेश्वर लाल तेतरवाल एड० ने आपत्ति [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	बैंक हितों के मध्यनजर ही प्रकरण में निर्णय पारित फरमाया जावे। पत्रावली व पत्रावलीपर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड विवादित पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा एवं इकबाली जवाब का अवलोकन किया गया। चूंकि विवादित पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं इकबाली जवाब की इबारत समान है, जिससे विवादित पक्षकारान अपनी कृषि भूमि का आपसी राजीनामा से मुताबिक राजीनामा निस्तारण करवाना चाहते है। उक्त राजीनामा एवं इकबाली जवाब में मुताबिक राजीनामा बैंक रहन दुरूस्त किया जाना अभिकथित है। अत: वाद, वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक राजीनामा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो तथा तद्नुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री मुर्तिब हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 15-10-2020 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राकेश कुमार) RAS उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) खण्डेला (सीकर)	उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner